उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-10/2015/सीपी 229/84-2-2015-सीपी 6/2013

लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री ऐहतराम हुसैन, मो0 कहरारनटोला, नानपारा, बहराइच की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-68/सीपी 415/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 30.10.2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी।

2. श्रीमती नसीबुन निशा द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 द्वारा पत्रांक-3552/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि 95/13, दिनांक 26.12.2013 उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजी गयी, जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण दिनांक 20.01.2014 को निबन्धक, राज्य आयोग, उ0प्र0 द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का भी प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ, जिससे यह प्रतीत होता है कि श्रीमती नसीबुन निशा जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच की महिला सदस्य के पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं। इससे फोरम का न्यायिक कार्य बाधित होने के साथ उपभोक्ताओं के वादों का त्वरित निस्तारण न हो पाने के कारण मा0 न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती नसीबुन निशा की नियुक्ति निरस्त करने की संस्तुति की गयी।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत श्रीमती नसीबुन निशा को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शासन स्तर से पत्र दिनांक 24.07.2014 द्वारा नोटिस भेजी गयी कि अधिसूचना दिनांक 30.10.2013 में उल्लिखित समस्त अभिलेखों के साथ 15 दिवसों के अंदर राज्य आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त अवधि में उपस्थित न होने पर यह समझ लिया जायेगा कि वह कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं हैं और उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

4. इस सम्बन्ध में निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या 5908/एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी./अधि 95/13, दिनांक 13.03.2015 द्वारा शासन को अवगत कराया है कि श्रीमती नसीबुन निशा अभी तक जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच में महिला सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु राज्य आयोग में उपस्थित नहीं हुई हैं। तत्क्रम में निबंधक, राज्य आयोग ने श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री ऐहतराम हुसैन, मो0 कहरारनटोला, नानपारा, बहराइच की जिला फोरम, बहराइच में महिला सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

5. अतः निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच के महिला सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2013 द्वारा श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री ऐहतराम हुसैन, मो0 कहरारनटोला, नानपारा, बहराइच की नियुक्ति को श्री राज्यपाल महोदय जनहित में एतदद्वारा निरस्त करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, बहराइच ।
(3) कोषाधिकारी, बहराइच ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, बहराइच (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्रीमती नसीबुन निशा पत्नी श्री ऐहतराम हुसैन, मो0 कहरारनटोला, नानपारा, बहराइच ।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।